न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 71 / 2024	2024 / 64	21.11.2024	02.12.2024

1– मजीदखा पुत्र टिटट्टी उर्फ नसीबखा,
2– मुन्दरी पत्नी टिटट्टी उर्फ नसीबखा,
3– साहबदीन पुत्र टिटट्टी उर्फ नसीबखा,
4– अयूब पुत्र टिटट्टी उर्फ नसीबखा,
5– रहमूदीन पुत्र टिटट्टी उर्फ नसीबखा मेवान निवासीयान ग्राम खौहरापीपली तहसील किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढ़बास जिला बैरथल–तिजारा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुध आज्ञा दिनाक 17.11.2024 तहसीलदार किशनगढबास जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 17.11.2024 ग्राम खौहरापीपल बाबत रहन बहक बैंक बेजा तौर पर खारिज किया गया।

उपस्थित–
01. श्री शेरमौहम्मद —वकील अपीलान्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 547 निर्णय दिनांक 17.11.2024 वाके ग्राम खौहरापीपली तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान ने एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा अग्रसेन सर्किल खैरथल में अपनी हिस्सेदारी खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी पर ऋण लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर बैंक के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने प्रपत्र 6(1) भरा जाकर आराजी खसरा न0 376 रकबा 0.06 है0, 377 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 0.69 है0 का सहवन से 1 / 12 भाग दर्ज कर दिया व खसरा 319 रकबा 1.11 है0 का 1 / 10 भाग दर्ज कर दिया, जबकि आराजी खसरा न0 376 व 377 में अपीलान्टान का 1 / 20 भाग व आराजी खसरा न0 319 में 1 / 40 भाग है। यह भूल बैंक कर्मचारी द्वारा की गई। और पटवारी हल्का ने उसी प्रपत्र के आधार पर रिपोर्ट करदी। दस्तावेजात का मेल नहीं होने कारन नामान्तकरण निरस्त किया गया है। जबकि पटवारी हल्का ने वर्तमान नामान्तकरण संख्या 547 दर्ज करते समय सही हिस्सा दर्ज किया है। तहसीलदार किशनगढबास को प्रपत्र दुरुस्ती हेतु लौटाना चाहिए था ताकि संसोधित कराया जाकर पेश किया जाता। मिन अपीलान्टान ने पुनः दिनांक 19.11.2024 को बैंक से पुनः प्रपत्र जारी कराया है, इसलिये आदेश दिनांक 17.11.2024 को अपास्त किया जाकर पुनः जारी प्रपत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार करना चाहिये। मिन अपीलान्टान काश्तकार पेशा है, और

जिला कलक्टर
–तिजारा

अपनी कृषि भूमि के विस्तार हेतु ही आराजी को बैंक में रहन कर ऋण लेने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की हुई है। आलोच्य आदेश के कारण अपीलान्टान के हितो पर कुठाराधात होता है, इस लिये अपने हितों की रक्षार्थ अपील प्रस्तुत करना लाजिम आया है। अपील अपीलान्टान प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2024 बाबत इन्तकाल से 547 ग्राम खौहरापीपली बाबत रहन बैंक अपास्त किया जावे। व पुनः जारी प्रपत्र 6(1) को स्वीकार करते हुरे बैंक रहन नामान्तकरण स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्टान की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि बैक से लोन लिये जाने हेतु प्रपत्र 6(1) भरा गया जिसमें आराजी खसरा न0 376 रकबा 0.06 है0, 377 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 0.69 है0 का सहवन से 1/12 भाग दर्ज कर दिया व खसरा 319 रकबा 1.11 है0 का 1/10 भाग दर्ज कर दिया, जबकि आराजी खसरा न0 376 व 377 में अपीलान्टान का 1/20 भाग व आराजी खसरा न0 319 में 1/40 भाग है। यह भूल बैंक कर्मचारी द्वारा की गई। और पटवारी हल्का ने उसी प्रपत्र के आधार पर रिपोर्ट करदी। जबकि पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 547 दर्ज करते समय सही हिस्सा दर्ज किया है। किन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तरण बिना जांच किए खारिज किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 547 ग्राम खौहरापीपली तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि 6 (1) में वर्णित आराजी के हिस्से बाबत पुनः संशोधित आवेदन प्राप्त कर अपीलान्टान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)